विवरण 48: बारह वे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए और ऋण समेकन और राहत सुविधा के अंतर्गत पात्र राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऋण/ब्याज राहत के लाभ

(30 अगस्त 2008 को)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08	
	ऋण राहत	ब्याज राहत
1	2	3
I. गैर-विशेष श्रेणी		
1. आंध्र प्रदेश	703	527
2. बिहार	–	258
3. छत्तीसगढ़	93	66
4. गोवा #	20	15
5. गुजरात	472	357
6. हरियाणा	97	60
7. झारखंड *	–	81
8. कर्नाटक	358	279
9. केरल	–	142
10. मध्य प्रदेश	363	279
11. महाराष्ट्र	340	202
12. उड़ीसा	382	184
13. पंजाब	86	125
14. राजस्थान	309	183
15. तमिलनाडु	263	191
16. उत्तर प्रदेश	1,064	820
17. पश्चिम बंगाल	–	–
II. विशेष श्रेणी		
1. अरुणाचल प्रदेश	20	15
2. असम	105	28
3. हिमाचल प्रदेश	45	32
4. जम्मू और कश्मीर	–	–
5. मणिपुर	38	3
6. मेघालय #	15	11
7. मिजोरम #	13	10
8. नागालैंड	16	11
9. सिक्किम	–	–
10. त्रिपुरा	–	16
11. उत्तराखंड	9	7
सभी राज्य	**4,812**	**3,903**

: 2006-07 से प्रभावी समेकन। '–' : लागू नहीं / उपलब्ध नहीं।

* : समेकन 2006-07 से प्रभावी पर एफएलआर अधिनियम 2007-08 में बनाया गया।

स्रोत : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार